



- i.) लिमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा;
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा;
- iii.) सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंसर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा;
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर ₹२२/-रूपर का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।

पंचायत सचिव
वि. वि. अधि/सचिव
प.पं. २५५
वि.खं. खयौली (अगरा)

(नाम मुहर सहित)
ग्राम पंचायत/ गांव खाण्ड
खंड खयौली
जिला अगरा

सचिव/ अध्यक्ष/ अध्यक्ष
वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति
(नाम मुहर सहित)

ग्राम पंचायत/ गांव खाण्ड
खंड खयौली
जिला अगरा
